न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–142 / 2026

(चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 59 / 2018 से उत्पन्न)

(जी0आर0 संख्या 2451ए / 2018 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सुरेश लाल वर्णवाल बनाम राज्य सरकार

आदेश

09.04.2026 1– प्रस्तुत जमानत आवेदन **सुरेश लाल वर्णवाल** उम्र लगभग 58 वर्ष, पिता स्व0 कृष्णालाल बर्णवाल, साकिन ठाढ़ी, थाना–चन्द्रमंडी, जिला–जमुई, चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 59 / 2018 (जी0आर0 संख्या 2451ए / 2018 से उत्पन्न) में धारा 302, 201, 120बी, 427, 34 भा0द0वि0 तथा धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यू0ए0पी0 एक्ट के अन्तर्गत नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोरंजन कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्ति लाल शर्मा को सुना गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक 11.02.2026 से काराधीन है।

2– अभियोजन का केस संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.08.2018 को करीब छः बजे सुबह को सूचना प्राप्त हुई कि सतपोखरा गांव के बघार में स्थित एक अज्ञात नवयुवक का लाश पड़ा है। सूचक को अपने स्तर से अन्य स्रोतों से ज्ञात हुआ। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी से शेयर किया तथा थाना दैनिकी में अंकित किया। वरीय पदाधिकारी द्वारा चकाई, सोनो तथा सिमुलतल्ला में कैंप कर रहे पैरा मिलिस्ट्री को सूचित करने तथा सत्यापन हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त स्थान पहाड़नुमा जंगल, झाड़ से घिरा हुआ है तथा पूर्णतः नक्सल से प्रभावित है। समय करीब 7:45 बजे सी0आर0पी0एफ0215 / 13 के निर्देश पर सशस्त्र बल तथा जवान थाना आये तथा थाना से पुलिस पदाकारी, बी0एम0पी0 कैम्प चन्द्रमंडी थाना, सशस्त्र बल साथ के एंटी लैंड माइन्स तथा अन्य पुलिस वाहन से सतपोखरा गांव के बधार में जांच व सत्यापन के लिए थाना से प्रस्थान किया। उपरोक्त सभी के साथ सतपोखरा बघार जंगल करीब 8:35 बजे पहुंचकर जंगलनुमा रास्ते शिव मंदिर होते होते हुए जंगल के बीच से कच्चे सड़क जो ग्राम सपहा की ओर जाती है के बीचो बीच एक शव चित अवस्था में पड़ा देखा गया। शव का निरीक्षण करने पर पाया कि सिर के पीछे काफी गहरा छेदनुमा जख्म एवं दाहिना गर्दन एवं कनपट्टी में काला सूजन है। शव के करीब एक टी0वी0एस0 पूर्णतः जला हुआ जमीन पर रखा है तथा एक सादा कागज पर लाल रंग से हस्तलिखित पर्चा जिस पर पार्टी विरोधी, जन विरोधी पुलिस दलाल एस0पी0ओ0 छोटू कुमार कि सजा–ए–मौत निवेदक भा0क0पा0 माओवादी लिखा हुआ जिसके उपर मृतक का पहचान पत्र रखा पाया। सशस्त्र बल के द्वारा इस जंगलनुमा स्थल को चारो तरफ से घेराबंदी कर पूर्व के सूचना पर पश्चिम जंगल के तरफ सीआरपीएफ कैंप बटिया के श्री धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र बल, उत्तर के तरफ से इंस्पेक्टर श्री संजित कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र बल जंगल में घेराबंदी कर रखे थे। इस स्थल पर नक्सली जोनल कमांडर अपने दस्ते के साथ विचरण करते रहते हैं। जिसकी मंशा पुलिस बल को चोरी छिपे क्षति पहुंचाना रहता है। प्राप्त शव का पंचनामा कर शव के पास से प्राप्त सामग्री को विधिवत् जब्त किया गया। सूचक को विश्वास है कि घटना कारित करने तथा दहशत फैलाने के उद्देश्य से नक्सली अरविन्द यादव उर्फ अविनाश उर्फ नेताजी उर्फ अशोक उर्फ लम्बू

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
जमानत आवेदन संख्या–142/2026
(चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 59/2018 से उत्पन्न)
(जी0आर0 संख्या 2451ए/2018 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सुरेश लाल वर्णवाल बनाम राज्य सरकार

09.04.2026
लगातार

उर्फ चश्मली, सिद्धू कोड़ा उर्फ मुंशी कोड़ा, बबलू संथाल, पिन्टू राणा उर्फ राजेश राणा उर्फ राजेश मिस्त्री मतलू तुरी, दरोगी यादव उर्फ भूपति उर्फ ब्रेहरा, बुधु मशहर उर्फ बुधु मांझी उर्फ बुधन, मोतीलाल मांझी उर्फ मोती सोरेन, नरेश दास, रामसिंह घटवार, कविता देवी, झुमरी देवी, छोटू उर्फ छोटेलाल, विजय मांझी, करूणा डी तथा सुरेश कुमार वर्णवाल व अन्य द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की गई है। अब तक मृतक न तो किसी थाना का एस0पी0ओ0 रहा है और न थाना से वास्ता रखा अपितु गांव गांव घुमकर किशमिश छुहारा इत्यादि की बिक्री मोपेट से किया करता था। उपरोक्त नामित नक्सलियों को छोटू कुमार की हत्या करने नक्सली हस्तलिखित पर्चा से दहशत फैलाने मोपेट को आग से जलाकर नष्ट करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 11.02.2026 से कारा में संसीमित है। आवेदक द्वारा वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर अन्य कोई जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में अथवा न तो माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। यह कि आवेदक दो अन्य वाद चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 60/2018 तथा झाझा थाना कांड संख्या 357/2020 में भी अभियुक्त है। यह कि आवेदक को 35(3) तथा 35(6) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। यह कि आवेदक के अलावे 44 अन्य व्यक्तियों को इस वाद में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक को इस वाद में झूठा व गलत तरीके से फंसाया गया है। यह कि आवेदक पर कोई विशेष आरोप नहीं है और न ही आवेदक के भौतिक कब्जे से कुछ बरामद हुआ है और न ही इस वाद का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। यह कि आवेदक के भैतिक कब्जे से न तो कोई विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है और न ही कोई हथियार बरामद हुआ है और न ही जब्त सामग्री का आवेदक से कोई सम्बन्ध है। आवेदक का नाम सहआरोपी सुनीता कुमारी उर्फ सुनीता राणा के इकबालिया ब्यान में आवेदक का नाम अन्य व्यक्तियों के साथ लापरवाही तरीके से उल्लेख किया गया है। यह कि आवेदक द्वारा निचली अदालत में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 12.02.2026 के आदेश से खारिज कर दिया गया। यह आवेदक एक स्थानीय चिकित्सा व्यवसायी है और उसकी बेगुनाही के समर्थन में स्थानीय मुखिया, सरपंच पंचायत समिति के साथ अन्य सहग्रामीण एस0पी0 जमुई के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि इस वाद के सहअभियुक्त नरेश दास को बी0ए0 नंबर 30/22 में डॉ श्याम को बी0ए0 नंबर 83/2022 में को तथा दारोगी यादव को बी0ए0 नंबर 135/2022 में को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है। यह कि आवेदक अकारण दिनांक 11.02.2026 से कारा में संसीमित है। चूंकि आवेदक एक साधन संपन्न व्यक्ति हैं और गांव के स्थानीय निवासी हैं। आवेदक के भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
जमानत आवेदन संख्या–142/2026
(चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 59/2018 से उत्पन्न)
(जी0आर0 संख्या 2451ए/2018 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सुरेश लाल वर्णवाल बनाम राज्य सरकार

09.04.2026
लगातार

दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्रथमिकी धारा 302, 201, 120बी, 427, 34 भा0द0वि0 तथा धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यू0ए0पी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है। इस वाद में 45 व्यक्तियों के विरूद्ध नाम पता सहित प्राथमिकी अंकित किया गया है परन्तु पूरे अभिलेख एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्राथमिकी में अंकित व्यक्तियों का नाम पता पुलिस को किसने बताया एवं अभियुक्तों के नाम एवं पता की जानकारी पुलिस को कैसे हुई, इसका उल्लेख वाद दैनिकी या प्राथमिकी में नहीं है। इस वाद में आवेदक को दिनांक 19.01.2026 को झाझा थाना कांड संख्या 357/20 से निर्गत प्रोडक्शन वारंट के आधार पर दिनांक 11.02.2026 को इस वाद में रिमांड किया गया है तब से आवेदक कारा में संसीमित है। इस वाद में वाद का अनुसंधान अभी जारी है तथा आवेदक के विरूद्ध आरोपपत्र अभी समर्पित नहीं किया गया है। इस वाद में आवेदक को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है न ही आवेदक के पास या आवेदक के घर से कोई आपत्तिजनक वस्तु या इस केस से सम्बन्धित कोई तथ्यपरक साक्ष्य प्राप्त/जब्त हुआ है। इस वाद में आवेदक का नाम केवल संदेह के आधार पर दर्ज किया गया है। इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और न ही घटना के परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी इस अभियुक्त के अभियुक्तिकरण के सम्बन्ध में मिलती है तथा इस वाद में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यू0ए0पी0 एक्ट में आरोपित धाराओं में वाद चलाने हेतु स्वीकृत्यादेश (Order of Sanction) अभिलेख पर नहीं है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 के अनुसार इस वाद के अतिरिक्त आवेदक पर चन्द्रमण्डी थाना कांड संख्या 07/2018 तथा झाझा थाना कांड संख्या 357/2020 के लंबित रहने का कथन किया गया है परन्तु उक्त दोनों केस किस अधिनियम के किन धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है इसका उल्लेख जमानत आवेदन में नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई स्पष्ट आरोप नहीं है या आवेदक द्वारा कोई विशेष कृत्य करने का आरोप भी आवेदक पर नहीं है। वाद दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपित धाराओं के अन्तर्गत गठित अवैधकृत में संलिप्तता के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया तथ्य एवं साक्ष्य अभिलेख पर अभी तक के अनुसंधान में उपस्थित नहीं है तथा इस वाद में सहअभियुक्ता सुनीता कुमारी उर्फ सुनीता राणा के द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गये स्वीकृति ब्यान के अतिरिक्त आवेदक के विरूद्ध अन्य कोई साक्ष्य या तथ्य अभी तक के अनुसंधान में वाद दैनिकी तथा अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है तथा इस वाद में सहअभियुक्त दारोगी यादव को नियमित जमानत संख्या 135/2022 में दिनांक 05.02.2022 के आदेश से, सहअभियुक्त दिलीप पासवान को नियमित जमानत आवेदन संख्या 119/22

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–142/2026

(चन्द्रमंडी थाना कांड संख्या 59/2018 से उत्पन्न)

(जी0आर0 संख्या 2451ए/2018 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सुरेश लाल वर्णवाल बनाम राज्य सरकार

09.04.2026 में दिनांक 08.03.2022 के आदेश से तथा सहअभियुक्त डॉ0 श्याम उर्फ श्यामलाल बेसरा को नियमित जमानत आवेदन संख्या 83/2022 में दिनांक 09.03.2022 के आदेश से तथा नरेश दास को नियमित जमानत आवेदन संख्या 30/2022 में दिनांक 04.02.2022 के आदेश से इसी न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान किया गया है इसके अतिरिक्त अन्य सहअभियुक्तों में सुनीता कुमारी एवं अनीता कुमारी को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 12070/2020 में दिनांक 29.02.2020 के आदेश से जमानत प्रदान किया है, सअभियुक्ता कविता देवी को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 20060/2020 में दिनांक 26.06.2020 के आदेश से जमानत प्रदान किया गया है तथा इस आवेदक के जमानत का आधार अन्य पूर्व में जमानत प्राप्त सहअभियुक्तों के जमानत के आधार के समान अथवा बेहतर है।

अतः उपरोक्त विवेचन तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा आवेदक के कारा में संसीमित रहने की अवधि एवं अभिलेख पर उपस्थित अभी तक के तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक द्वारा 10,000/– के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर, तथा निम्न शर्तों का पालन करने पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें

1. आवेदक वाद के विचारण में न्यायालय को पूर्ण सहयोग करेगा।
2. आवेदक विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा लगातार तीन तिथियों पर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर आवेदक का बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।
3. जमानतदारों के नाम से स्थायी संपत्ति तथा उक्त संपत्ति का कागजात होना चाहिए।
4. अभियुक्त न्यायालय के अनुमति के बिना बिहार राज्य से बाहर नहीं जायेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

मेमो नं.–..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारितः–विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई